

जनता की आवाज

खाली पड़े प्लॉट से नहीं उठाया जाता कचरा



भोपाल | बी सेक्टर कैलाश नगर सीटीओ रोड संत हिरदाम नगर में 1998 से खाली प्लॉट कचरे का स्थायी ढेर बना हुआ है वगैरे से दुर्गंध और गंदगी से रहवासी परेशान हैं कई शिकायतों तथा स्वयं सफाई कराने के बावजूद लोग और सफाई मित्र यहां कचरा डालते रहते हैं नगर निगम तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर स्थायी समाधान सुनिश्चित करे।

-दिलीप पाटिल, स्थानीय निवासी

26 साल बाद भी नहीं बनी कॉलोनी में रोड



अंधेरे में आर्यभवन की सड़क, रात में खतरा



भोपाल | अवधपुरी की न्यू फोर्ट एक्सटेंशन कॉलोनी में वर्ष 2000 से बसावट है। इसके बावजूद आज तक यहां की अंदरूनी सड़कें नहीं बनई हैं। हर वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद भी रहवासी गर्मियों में धूल और बारिश में कीचड़ से परेशान होते हैं। जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बावजूद नगर निगम सड़क निर्माण नहीं करा रहा है।

-भूपेंद्र खरे, स्थानीय निवासी

भोपाल | गौतम नगर चेतक ब्रिज के आर्य भवन चौराहे से उत्तर जाने वाली सड़क की पहली स्ट्रीट लाइट तीन हफ्तों से बार-बार खराब हो रही है। सुधार के चार दिन बाद फिर बंद हो जाती है। सड़क पर अंधेरे में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ रही हैं और राहगीर असुरक्षित महसूस करते हैं। जल्द समाधान कराया जाए।

-वृजेश कुमार, स्थानीय निवासी

सड़क पर वाहन खड़े, चलने की जगह नहीं



भोपाल | राजीव गांधी कॉलेज सलैया भोपाल के पास संकरी रोड पर लोग गाड़ियां पार्क कर देते हैं। जरा सी जगह में दोनों तरफ से चलने वाले वाहन और खड़ी गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति रोजाना बनती है। यह रास्ता कॉलेज गेट से अंदर जाता है और अंदर के कैम्पस को कनेक्ट करता है। यहां ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की जरूरत है।

-अभिषेक प्रताप, स्थानीय निवासी

जनता की आवाज कॉलम के जरिए आप भी अपनी आसपास की समस्याओं को आवाज दे सकते हैं। जुड़ने के लिए संबंधित खबर का एचडी फोटो अपने नाम के साथ **9340061909** पर वॉट्सएप करें।

दैनिक भास्कर एप के ‘भास्कर समाधान’ सेगमेंट में पोस्ट से दूर हो रही समस्याएं

सिर्फ एक क्लिक पर होती है पोस्ट

जाटखेड़ी: ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर से कटौती



पीरगेट: पांच साल से जलभराव की समस्या



वार्ड 53 के जाटखेड़ी निवासी अभिषेक पटेल ने ‘भास्कर समाधान’ पर शिकायत पोस्ट की है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र का ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड होने के कारण बार-बार बिजली कटौती हो रही है। फेज केवल भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनती रहती है।

वार्ड 18 के कमाली मंदिर रोड स्थित नव वहार सन्जी मंडी निवासी सुमित कुमार शोक्वार ने लिखा कि क्षेत्र में पिछले 5 साल से जलभराव की समस्या बनी हुई है। कई बार शिकायत और आवेदन देने के बावजूद सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई।

एप से लोगों को मिल रहा समाधान

राजीव नगर: बंद स्ट्रीट लाइट को किया दुरुस्त



वार्ड 67 के सेक्टर-ए, राजीव नगर निवासी चंदन सेनी ने ‘भास्कर समाधान’ पर शिकायत पोस्ट की थी। क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट लंबे समय से बंद थी, जिससे रात में अंधेरा रहता था। शिकायत पोस्ट होते ही संबंधित विभाग ने संज्ञान लिया और निराकरण कर समस्या का समाधान कराया। इसकी पुष्टि शिकायतकर्ता ने खुद की है।

दानिश खान बनें आज के ‘पब्लिक स्टार’



वार्ड 77 की सईद कॉलोनी, बोहरा मस्जिद के पास रहने वाले एक रहवासी ने लिखा था कि प्लॉट नंबर-182 के पास नाले का पानी रका हुआ है, जिससे गंदा पानी घरों में घुस रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ था। पार्षद दानिश खान ने तत्काल संज्ञान लिया और नाली की सफाई करवाकर जल निकासी सुचारु कराई।

आप भी अपनी समस्याएं इस तरह पोस्ट कर सकते हैं। इस वयूआर कोड को स्कैन करें।



बीटेक में कम्प्यूटर साइंस का क्रेज सबसे अधिक

एड्युकेशनरिपोर्ट | भोपाल

बीटेक में प्रवेश के फर्स्ट राउंड की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब अभ्यर्थियों को सोमवार को जारी होने वाली मॉरिट लिस्ट का इंतजार है। मॉरिट के आधार पर 3 जुलाई को सीट अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित होगी, उन्हें 7 जुलाई तक संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट कर प्रवेश लेना होगा। यदि किसी विद्यार्थी को मनपसंद कॉलेज या ब्रांच नहीं मिलती है तो उसे अगले चरण में सीट अप्रॉप्रेशन का विकल्प भी मिलेगा। प्रदेश भर में बीटेक के 125 कॉलेज हैं। इनमें करीब 69985 सीट हैं।

पीसीबी ने दोबारा देखी रेलवे स्टेशन की सफाई

निरीक्षण पूरा, अब एनजीटी में पेश होगी रिपोर्ट

लोकप्रतिरिपोर्ट | भोपाल

भोपाल रेलवे स्टेशन पर गंदगी और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) ने दोबारा निरीक्षण पूरा कर लिया है। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, कचरा प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लिया गया। अब निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। इसलिए निरीक्षण में क्या सुधार या कमियां मिलीं, इसका आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले पीसीबी की निरीक्षण रिपोर्ट में भोपाल रेलवे स्टेशन पर कई गंभीर खामियां सामने आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार स्टेशन परिसर में प्लास्टिक पैपर, सड़ा-गला खाद्य पदार्थ, अन्य कचरा बिखरा मिला था। प्लेटफॉर्म-5 और कम भीड़भाड़ वाले हिस्सों में न्यविमित सफाई के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले थे। निरीक्षण टीम ने स्टेशन परिसर में यूरिन और तंबाकू की तेज दुर्गंध

पहली रिपोर्ट में सामने आई थीं ये खामियां

■ स्टेशन परिसर में प्लास्टिक और अन्य कचरा बिखरा मिला। ■ सड़ा-गला खाद्य पदार्थ खुले में पड़े मिले। ■ प्लेटफॉर्म-5 और कम भीड़ वाले हिस्सों में सफाई व्यवस्था कमजोर मिली। ■ यूरिन और तंबाकू की तेज दुर्गंध दर्ज की गई। ■ न्यविमित सफाई के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले।

भी दर्ज की थी। इन्हें कमियों को गंभीरता से लेते हुए एनजीटी ने सुधार या कमियां को दोबारा निरीक्षण कर ताजा रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद पीसीबी की टीम ने हाल ही में रेलवे स्टेशन का दोबारा निरीक्षण किया। अब एनजीटी के समक्ष पेश होने वाली रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि रेलवे प्रशासन ने पहले बताई गई खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए। यह भी स्पष्ट होगा कि सफाई व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है। यदि रिपोर्ट में सुधार नहीं दिखाता है तो भोपाल रेलवे स्टेशन के खिलाफ जुमाने की कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी सामग्री का दुरुपयोग: जेई निलंबित

भोपाल | मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सीधी संपादन में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता (जेई) रंजीत कुमार साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हनुमान स्थित 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में सरकारी बिजली कंपनियों की सामग्री के संधारित दुरुपयोग की शिकायत पर की गई है।

जे। जांच में सामने आया कि संयंत्र की लाइन विस्तार का काम 'मैसर्स ओम एंटरप्राइजेज' द्वारा किया गया था, जिसकी प्रोपराइटर जेई रंजीत साहू की पत्नी ममता कुमारी हैं। निरीक्षण के दौरान संयंत्र में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की सामग्री और पावर ट्रांसमिशन कंपनी की केबल लगी पाई गई।

फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के आंकड़ों से साफ है कि इस बार भी विद्यार्थियों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई) रही। इस ब्रांच को 20,751 सीटों के मुकाबले करीब 17 हजार विद्यार्थियों ने इसे अपनी पहली पसंद बनाया। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आईटीफिशियल इंटील्लिजेंस एंड मर्शिन लर्निंग) को 2 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने पहली पसंद के रूप में चुना, इस ब्रांच में 6915 सीट हैं। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जैसे पारंपरिक शाखाओं की तुलना में एआई और डेटा साइंस से जुड़ी नई ब्रांचों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है।

Maharashtra Airport Development Company Ltd.

MAADC

CIN: U45203MH2002SGC136979

TENDER NOTICE

Development of Road Network SWD and other infrastructure including water supply, Sewerage system in Sector 32A & 33A in Chinchbhuwan Rehabilitation area in MIHAN at Nagpur.

The detailed advertisement can be seen / downloaded from the website www.mahatenders.gov.in from 29/06/2026 from 9.00 hours.

Sd/-
Vice Chairman and Managing Director

आम सूचना

कृषि भूमि खसरा क्रमांक 465/1/1(एस) रकबा 0.2870 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक-465/1/2(एस), रकबा 0.2150 हेक्टेयर, ग्राम-बागमुगालिया, भोपाल मध्यप्रदेश

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि उन्होंने डॉ. अशीष जायसवाल आत्मज डॉ. शैलेन्द्र जायसवाल निवासी-फर्स्ट फ्लोर एन-103, एन-ब्लॉक, पंचशील पार्क, साउथ दिल्ली, दिल्ली-110017 को स्वत्व, स्वामित्त व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा क्रमांक-465/1/1(एस) रकबा 0.2870 हेक्टेयर अर्थात् 0.709 एकड़ एवं खसरा क्रमांक-465/1/2(एस) रकबा 0.2150 हेक्टेयर अर्थात् 0.531 एकड़ इस प्रकार कुल रकबा 0.502 हेक्टेयर अर्थात् 1.24 एकड़, जो कि ग्राम-बागमुगालिया, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल (म.प्र.) में स्थित है, जिसकी चौहद्दी पूर्व में-अन्य की भूमि, पश्चिम में-खसरा क्रमांक-454/1 की भूमि, उत्तर में-मुख्य मार्ग एवं दक्षिण में-खसरा क्रमांक-465/2/1 एवं 465/3/2 की भूमि को क्रय करने हेतु अनुबंध करने का निर्णय करा है। उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग पर किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक आदि का कोई ऋण, भार, दान, बंधक, अनुबंध हो अथवा इस अंतरण से किसी के कोई हित प्रभावित हों तो इस आम सूचना के प्रकाशन से **07 (सात) दिवस** की अवधि में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित मेरे समक्ष निम्न पते पर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होंगे एवं अवधि व्यतीत होने के पश्चात् मेरे पक्षकार उक्त संपत्ति क्रय कर विक्रय पत्र/अनुबंध पत्र का पंजीयन करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

प्रवदीय-सुरेश चौधरी एडवोकेट, सुनील चौधरी

कार्या.-एम.02,लिवर्डी चैम्बर,प्लॉट नं.-18,जोन-1,ज्योति टाकीज चौराहा, एम.पी.नगर, भोपाल म.प्र., मो.-9303130659, 9977995922

जाहिर सूचना

श्रीमती रेखा श्रीवास्तव पत्नी डॉ. आनन्द मोहन श्रीवास्तव, 2. श्रीमती कल्पना खरे पत्नी श्री राजेश्वर नारायण खरे के स्वत्व, स्वामित्त व आधिपत्य की आवासीय भूमि खसरा क्र. -1/1/6/18 (एस) रकबा 0.0930 हेक्टेयर अर्थात् 0.23 एकड़ जो कि ग्राम-अमरावतखुर्द, प.ह.नं.-19, रा.नि.म.-02, नगर निगम सीमाओं के अंदर वार्ड नं.-60, तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. में स्थित है, उपरोक्त भूमि को क्रय करने का अनुबंध मेरे पक्षकार ने कर लिया है एवं अग्रिम राशि अदा कर दी है। यदि उपरोक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति, संस्था, सोसायटी, बैंक आदि का किसी भी प्रकार का कोई ऋण या अधिकार हो अथवा कोई आपत्ति हो या उक्त वर्णित भूमि कहीं कोई अनुबंध, ऋण, दान, खसरी, वसीयत, हस्तांतरण इत्यादि हो तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना प्रकाशन से **07 दिवस** के अंदर मेरे कार्यालय में मय दस्तावेजों के उपस्थित होकर या डक/स्पीड पोस्ट से प्रस्तुत करें। समय अवधि निकल जाने के पश्चात् कोई भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त भूमि के क्रय पत्र का ई-पंजीयन अपने पक्ष में करा लेवेंगा।

अद्वितीय एडवोकेट

एम.ए.एन. एसोसिएट्स

कार्यालय - बी.न्यू-8/84, को.कला क्रीड़ा के सामने, हैदराबाद, भोपाल मो.-9826329818/9826342961

दैनिक भास्कर

सच्ची बात, वैध खबर

आम सूचना

ग्रेटर भोपाल

भोपाल-होशंगाबाद-सागर

(प्रॉपर्टी संबंधित)

फिक्स साइज 12X4 cm

Rs. 12,000/- B/W

फिक्स साइज 12X4 cm

Rs. 13,000/- Colour

अन्य किसी साइज में

B/W/ Colour

@Rs. 650/- per sqcm

कोर्ट नोटिस

फिक्स साइज 12X4 cm

Rs. 14,000/-

अन्य किसी साइज में

B/W/ Colour

@Rs. 650/- per sqcm

सभी विज्ञापनों पर 5%

GST अतिरिक्त

बुकिंग के लिए सम्पर्क करें

98931-91174

आम सूचना

खसरा क्र. 352/1 एवं 352/2 रिहायश ग्राम मुगुडिया जिला भोपाल संघ में

मेरी पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि श्री गणेश सोनी आत्मज श्री रामचन्द्र सोनी निवासी मयना नं. 9/10, पास विशार कालोनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, पीपल चौराहा करीब भोपाल के स्वत्व, स्वामित्त एवं आधिपत्य की ग्राम मुगुडिया, पटवारी हक नं. 11, तहसील हुजूर, जिला भोपाल रिहायश ग्राम खसरा क्रमांक 352/1 पर रकबा 0.8700 हेक्टेयर में प्र. 0.3840 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 352/2 पर रकबा 0.1800 हेक्टेयर में से 0.0220 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 0.406 हेक्टेयर भूमि जिसकी वसुलीदार-पूर्व में - खसरा क्र. 352/2 की शे.भूमि, पश्चिम में - खसरा क्र. 352/1 की शे.भूमि, उत्तर में - नाला एवं दक्षिण में - प्रधानमंत्री रोड है। उक्त समुदाई 0.406 हेक्टेयर भूमि को मेरे पक्षकार उपरोक्त भूमि बराबरी से क्रय करने का रहे है। यदि उपरोक्त वर्णित भूमि संपूर्ण या उसके किसी हिस्सा भाग से किसी भी ब्यक्ति/अर्द्धसाक्षीय, व्यक्ति, विधायी संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य का किसी प्रकार का कोई ऋण, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त भूमि कहीं ऋण, भार, सत्यप बंधक आदि हो तो यह इस सूचना-पत्र प्रकाशन से 7 दिवस की समयवधि में दस्तावेजी प्रमाण सहित मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयवधि निकल जाने के पश्चात् इस भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी और मेरे पक्षकार इस भूमि की शे. संपूर्ण विक्रय प्रतिकूल राशि उपरोक्त विक्रेता को उदा कर इस संपत्ति के क्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करवाते के लिए स्वतंत्र होंगे।

सुमान सिंह भदौरिया एडवोकेट एवं नोटरी

महेश शास्त्री सर्वप्रति प्राविकर श्री विनायक सर्विसेज 28, लीला भवन कवला रोड, शहीद नगर, भोपाल मो.9827315651, 9830695365, 8266074462

PUBLIC NOTICE

IN THE MATTER OF CAPITAL MALL, BHOPAL (earlier known as C-21 Mall)
Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, M.P.

1. This public notice is hereby given for the information of the public at large that my client M/s. Beyond Malls LLP (CAPITAL MALL) have entered into a Lease Agreement dated 27th September 2017 which was duly registered on 23rd Oct 2017 and is valid for the term of 15 years, i.e uptill 30th September 2032 with M/s Century 21 Malls Pvt. Ltd., for the Lease of the CAPITAL MALL, Bhopal (earlier known as C-21 Mall) situated at, Hoshangabad Road, Misrod, Bhopal, M.P, by virtue of which the Beyond Malls LLP has been assigned the complete Rights And Responsibility of Marketing, Sub- Leasing, Operating, Maintaining and Managing the Mall for the said term.

2. It is essential to inform to the public at large that the Madhya Pradesh Finance Corporation (MPFC) has declared Century 21 Malls Pvt. Ltd's account as NPA in 2018 and issued notices to the occupants of the mall alongwith various breaches of the terms of the lease deed, the dispute arose between Beyond Malls LLP & Century 21 Malls Pvt Ltd, parties to the master lease deed and the same matter is referred to an arbitration and is under ongoing arbitration proceedings and has not yet reached its finality.

3. We state and confirm that there is no adverse order issued by either by the arbitration tribunal or any court of law, as on date against the rights under the lease deed .

4. It is come to knowledge of our Client through various sources that, Century 21 Malls Pvt Ltd are approaching various retailers / Brands, claiming, that the matter has been adjudicated and have won the said arbitration & dispute, by doing this Century 21 are creating a narrative and trying to enter into some kind of arrangement and agreement with third parties/retailers/ brands just to create more litigation.

5. We state and confirm that during the pendency of the dispute and arbitration not attained finality any party entering into any agreements or arrangement is done without our client's consent and our client will not be responsible either legally or financially for any loss incurred by those persons for any such unlawful acts on part of Century 21. We state that the Lease Agreement between my client M/s Beyond Malls LLP and Century 21 Malls Pvt. Ltd., is applicable and enforceable as on date.

6. The public at large is informed that based on the above my client M/s Beyond Malls LLP continues to be in actual physical possession of the CAPITAL MALL along with all rights and responsibility for Marketing, Sub- leasing, Operating , Maintaining and Managing the Mall, for the entire term and also has the right to first refusal at the time of sale of the said mall premises, therefore anybody interested in purchasing or selling the Mall Premises should not do so without first obtaining consent from M/s Beyond Malls LLP. However, in case any retailer/ brand want to lease a shop/area in the said Mall, you may directly deal with my client Beyond Malls LLP (Capital Mall).

7. My client M/s Beyond Mall LLP shall not be responsible for any loss caused to anybody who indulges in any transaction with respect to CAPITAL Mall without obtaining their written Consent.

Place: Bhopal

Date: 29th June 2026

Advocate for
M/s. Beyond Malls LLP
Adv. Ashwin Rastogi - (MP/1982/2017)
Ph. +91-74155 91679
Chamber 212, Uttamchand Israni Lawyers Chambers, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh 462011